(भारत का राजपत्र, असाधारण , खण्ड 4, भाग III, में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 111 **नई दिल्ली** **17 मई 2007**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत्द्वारा, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन न्यास से निर्यातीत लौह अयस्क / गुट्टिकाओं पर, संलग्न आदेशानुसार, पोतघाट शुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/24/2007-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर्र पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ..... आवेदक

आदेश

(मई 2007 के 15 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क / गुट्टिकाओं के लिए फाइनल पोतघाटशुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है।

2. एनएमपीटी ने कहा है कि केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क के लिए पोतघाटशुल्क दर की गणना संबंधित वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के संदर्भ से की गयी है। केआईओसीएल अयस्क के मामले में पोतघाटशुल्क दरें निर्धारित करने की पद्धति सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच दिनांक 27 मई 1992 को हुई अंतर-सचिवीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार है। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केआईओसीएल के लिए पोतघाटशुल्क दर नीचे दिये गये विभिन्न घटकों पर डुए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए :-

(i). यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा।
(ii.) प्रहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय।
(iii). मूल्यहृास
(iv). प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्ययों का हिस्सा।
(v). पूंजी पर ब्याज।
(vi). 6% की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ1

3. एनएमपीटी ने कहा है कि वर्ष 2005-06 के लिए पोतघाटशुल्क दर, अलग अलग द्विवपक्षीय अनुबंधों के अनुसार, एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच व्यय के विशेष तत्वों की हिस्सेदारी पर विचार करके तय की गई है। वर्ष 2005-06 के लिए फाइनल दर वास्तविक व्ययों के आधार पर तय की गई है और रु. 28.04 प्रति मी.ट. निर्धारित की गयी है।

4. एनएमपीटी ने यह सूचित किया है कि केआईओसीएल द्वारा पोतघाटशुल्क की गणना की जाँच की गई है। घाटशुल्क की गणना के सत्यापन के पश्चात् केआईओसीएल ने लिखित रूप में यह पुष्टि की है कि वर्ष 2005-06 में उसके द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क / गुट्टिकाओं के लिए पोतघाटशुल्क दर रु. 28.04 प्रति मी.ट. है।

5. केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यात किये गये लौह अयस्क पर वर्ष 2005-06 के लिए रु. 28.04 प्रति मी.ट. की दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव दरों के पूर्वव्यापी अनुमोदन का मामला है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा कि संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा

अनुमोदित होनेवाले प्रशुल्क का विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय सामान्यरूप से प्रभाव उत्तरव्यापी होगा। वर्तमान मामले में, चूँकि वास्तविक व्यय के कुछ घटकों के हिस्से के आधार पर दर का निर्धारण करना है, इसलिए वर्ष 2005-06 के लिए पोतघाटशुल्क दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करना होगा। इसके अलावा, पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच सहमत दर पर पहुँचने के लिए कोई मतभेद नहीं है। यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क के बारे में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, और 2004-2005 के लिए, इसी प्रकार से, पहले भी पोतघाटशुल्क दर निर्धारित कर चुका है। कुद्रेमुख लौह अयस्क पर वर्ष 2004-2005 के लिए घाटशुल्क की अनुमोदित दर रु. 28.90 प्रति मी. टन थी।

6. तदनुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2005-2006 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन से निर्यातीत लौह अयस्क / गुट्टिकाओं के लिए घाटशुल्क दर रु. 28.04 प्रति मी.ट. हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष